## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर

No/Admin/LC/Trg/Swayam&iGOT/2025-26/

दिनांक:-14.11.2025

## कार्यालय आदेश-155

मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्र. ई सं 119/433 part 1/ज्ञा.क्ष.ि अनु./2025-26, दिनांक 16.10.2025 के अनुपालन में लेख है कि मुख्यालय द्वारा iGOT Portal पर "Understanding Urbanisation in India" विषय का चयन प्रशिक्षण हेतु किया गया है|

In compliance with the letter received from the Headquarters, No. ई सं 119/433 part 1/जा.क्ष.नि अनु./2025-26, dated 16.10.2025, it is stated that the Course titled "Understanding Urbanisation in India" has been selected for the training purpose by the Headquarters on the iGOT Portal.

कार्यालय के ऐसे समस्त SAOs/AAOs, जो urban sector audit/ urban local government audit के कार्य में संलग्न है को निर्देशित किया जाता है कि iGOT पोर्टल पर उक्त पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूरा करना आवश्यक है। अतः सम्बंधित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.11.2025 तक उक्त course को पूर्ण किया जाना स्निश्वित करें।

All SAOs/AAOs of the office who are engaged in urban sector audit/urban local government audit are instructed to mandatorily complete the said course on the iGOT portal. Therefore, all concerned officers are directed to ensure completion of the said course by 25.11.2025.

यह पाठ्यक्रम वर्तमान में निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do 114412159504138240141/over view या iGOT पोर्टल पर "Urbanisation" खोजकर भी देखा जा सकता है। यह पाठ्यक्रम केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनका User Department "Comptroller and Auditor General (CAG) of India" के रूप में दर्ज है।

The course can be currently accessed using this link: <a href="https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do">https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do</a> 114412159504138240141/overview or by searching "Urbanisation" in the iGOT portal. The course is accessible only to users whose user department is "Comptroller and Auditor General (CAG) of India".

यदि उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित विभाग भिन्न है, तो iGOT के "Profile Section" के माध्यम से स्थानांतरण (Transfer) अनुरोध किया जा सकता है।

If the department appearing in the user profile is different, a transfer request may be made through the "profile section" in iGOT.

समस्त समूह अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उक्त Course पूर्ण करने के पश्चात प्राप्त Certificate का संकलन कर विधि कक्ष को दिनांक 28.11.2025 तक Email Id legalcell.mp1.au@cag.gov.in पर प्रेषित करें।

All Group Officers and Section Officers are requested to compile the certificates received from their subordinates upon completion of the course and forward the compiled certificates to the Legal Cell at legalcell.mp1.au@cag.gov.in by 28.11.2025.

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु:-

- 1. सचिव, प्रधान महालेखाकर
- 2. उप महालेखाकर/ एएमजी 1, एएमजी 2, एएमजी 3, एएमजी 4, एएमजी 5 व प्रशासन
- 3. सचिव/ उप महालेखाकार एएमजी 1, एएमजी 2, एएमजी 3, एएमजी 4, एएमजी 5 व प्रशासन
- 4. विरष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशा. 11,12,13,14, सामान्य अनुभाग, रिपोर्ट -1, रिपोर्ट-2, रिपोर्ट पी ए सी, गोपनीय कक्ष, आई टी ए , फाप, फास -एम, कार्यपालन शाखा, हिंदी कक्ष, आई एस विंग, एसएमयू
- 5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing कृपया उक्त कार्यलय आदेश को इंटरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ.- कृपया इंटरनेट व इंट्रानेट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7. सम्बंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ
- 8. सुचना पटल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष